दिनाक 11.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–11/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बादलपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 05 अभियुक्तों सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 लाइसेन्सी रायफल 315 बोर, 01 मिस, 03 जीवित कारतूस,**
- **01 अवैध पिस्टल, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार,**
- **01 होण्डा इमेज कार व 01 फॉरच्यूनर कार बरामद**

दिनांक 11.02.2021 को थाना बादलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अम्बेडकर पार्क के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 03 अभियुक्त 1–देवेन्द्र 2–रविन्द्र 3–भोपाल घायल हो गये, जिसे 04 अन्य अभियुक्तों 4–सतेन्द्र 5–जितेन्द्र 6–धर्मेन्द्र 7–महिपाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 01 लाइसेन्सी रायफल 315 बोर, 01 मिस, 03 जीवित कारतूस, 01 अवैध पिस्टल, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 होण्डा इमेज कार, 01 फॉरच्यूनर कार व घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिनमें अभियुक्त देवेन्द्र, रवीन्द्र, सतेन्द्र, जितेन्द्र, धर्मेन्द्र थाना बादलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–36/2021

धारा 147/148/149/307/302/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था ।

इस सम्बन्ध में थाना बादलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–देवेन्द्र निवासी गिरधरपुर थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

2–रवीन्द्र निवासी गिरधरपुर थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

3–भोपाल निवासी बुढ़ेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

4–सतेन्द्र निवासी गिरधरपुर थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

5–जितेन्द्र निवासी गिरधरपुर थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

6–धर्मेन्द्र निवासी गिरधरपुर थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

7–महिपाल निवासी बुढ़ेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी :–

1–01 लाइसेन्सी रायफल 315 बोर, 01 मिस, 03 जीवित कारतूस,

2–01 अवैध पिस्टल, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

4–01 होण्डा इमेज कार, 01 फॉरच्यूनर कार,

5–घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार।

जनपद प्रतापगढ़/थाना कोतवाली नगर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण बरामद**

दिनांक 11–02–2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस अड्डा के पास से 50 हजार रूपये का

पुरस्कार घोषित अपराधी सलमान को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 21/2021 धारा 395/397/120बी/412/504/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान निवासी गोवरधनपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1— लूट के सोने के आभूषण।

जनपद आजमगढ़/थाना दीदारगंज

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 10/11—02—2021 को थाना दीदारगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इन्द्रपुरी दिल्ली से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी श्यामबचन उर्फ अन्तू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना दीदारगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2020 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 158/2020 धारा 307/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि व मु0अ0सं0 107/2019 धारा 379/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दीदारगंज पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—श्यामबचन उर्फ अन्तू निवासी अरारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

जनपद बागपत/थाना खेकड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूटी की 01 कार,**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 10.02.2021 की सायं थाना खेकड़ा, थाना कोतवाली व थाना चॉदीनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कार लूट की सूचना पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें मुख्य आरक्षी गविन्द्र व आरक्षी रवीन्द्र घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 03 अभियुक्तो 1—रितेश 2—पुनीत 3—गौरव घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गयी 01 कार, 01 अवैध पिस्टल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 10.02.2021 की सायं थाना खेकडा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति से कार लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही थाना खेकडा, थाना चॉदीनगर, थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लूटी की कार बरामद की गयी।

इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—रितेश निवासी मंगल बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

2—पुनीत निवासी नया सुभानपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3—गौरव निवासी पूजा कालोनी निकट पाल होटल ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u> :–

1–लूटी गयी 01 कार,

2–01 अवैध पिस्टल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर</u>

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की 912 ग्राम अवैध मारफीन,**
- **02 मोटर साइकिल,**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 10.02.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लखनऊ मार्ग ओबरी जंगल के पास से 02 मादक पदार्थ तस्कर 1–मो0 रईस 2–मुफीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की 912 ग्राम अवैध मारफीन, 02 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

1–मो0 रईस निवासी कस्बा सिद्धौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।

2–मुफीद निवासी कस्बा सिद्धौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी ।

<u>बरामदगी</u>ः–

1–लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की 912 ग्राम अवैध मारफीन,

2–02 मोटर साइकिल,

3–01 मोबाइल फोन।

<u>जनपद कौशाम्बी / थाना मंझनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376(2) भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एस0टी0एफ0 – मुन्ना बजरंगी व अमन सिंह गैंग का कुख्यात शूटर, सुपारी किलर व लूटेरा अभिनव सिंह उर्फ बड्डू को एसटीएफ, उ0प्र0 ने लखनऊ से किया गिरफ्तार।</u>

आज दिनांकः 11–02–2021 को उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ के थाना चिनहट क्षेत्रान्तर्गत से एस0टी0एफ0 टीम द्वारा मुन्ना बजरंगी का आपराधिक उत्तराधिकारी, अमन सिंह गिरोह के कुख्यात षूटर अभिनव प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– अभिनव प्रताप सिंह उर्फ बड्डू पुत्र दिनेश प्रताप सिंह, निवासी ज्ञानापुर, थाना महराजगंज, जनपद अयोध्या। हाल पता सरयू विहार कालोनी, देवकाली, थाना कोतवाली नगर, अयोध्या।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 01 अदद डोंगल एअरटेल कम्पनी का।

2– 03 अदद मोबाईल फोन।

3– रू0 600/– नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

मटियारी तिराहा, थाना क्षेत्र चिनहट लखनऊ दि0 11–02–2021 समय– 08.45 बजे।

झारखण्ड राज्य के औद्योगिक जनपद धनबाद एवं रॉची में विगत कुछ वर्षो से व्यापारियों व कोल कम्पनियों में नियुक्त अधिकारियों से रंगदारी मांगने की घटनाएं निरन्तर घटित हो रहीं थीं। रंगदारी न देने पर हत्या एवं हत्या के प्रयास जैसी जघन्य घटनाएं भी कारित की जा रही थी। जिसके सम्बन्ध में कई अभियोग भी पंजीकृत है। रंगदारी आभासी (टपतजनंस डवइपसम छनउइमत) दूरभाष नम्बरों से मांगे जाने के कारण वास्तविक अपराधी तक पहुॅचना स्थानीय प्रषासन के लिए बहुत ही मुष्किल हो रहा था। परिणाम स्वरूप व्यापारियों में दहषत के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन को निरन्तर षान्ति व्यवस्था की समस्या से भी गुजरना पड़ रहा था। छानबीन के उपरान्त धनबाद व रॉची जेल में निरूद्ध उत्तर प्रदेष के अपराधी अमन सिंह व धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कू द्वारा इन घटनाओं को उत्तर प्रदेष के षूटर्स के माध्यम से कराये जाने की जानकारी होने पर श्री मुरारी लाल मीना, अपर पुलिस महानिदेषक, स्पेषल ब्रान्च, रांची, झारखण्ड द्वारा एसटीएफ उत्तर प्रदेष से घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया एवं पंजीकृत अभियोग के विवेचक को भी एसटीएफ मुख्यालय भेजा गया। उक्त के क्रम में श्री प्रमेष कुमार षुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ को अभिसूचना संकलन एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। झारखण्ड पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए प्राप्त सूचनाओं को विकसित करने पर पता चला कि जनपद अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेष निवासी अमन सिंह राची जेल में तथा जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेष निवासी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ रिन्कू सिंह धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में निरूद्ध है, जिन्होंने कोल इण्डस्ट्री में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए झारखण्ड व उत्तर प्रदेष के अपराधियों का एक संगठित गिरोह तैयार किया है, जो आपस में इन्टरनेट कालिंग के माध्यम से निरन्तर सम्पर्क में रहकर धनबाद व रांची

में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जेल के बाहर अयोध्या निवासी अभिनव प्रताप सिंह द्वारा गैंग को संचालित किया जा रहा है जिसके विरूद्ध पूर्व से कई जघन्य अपराधों के अभियोग पंजीकृत हैं। इन अपराधियों को पूर्व में मुन्ना बजरंगी द्वारा आर्थिक व आपराधिक सहयोग प्रदान किया जाता था, जो बाद में मुख्तार अंसारी के माध्यम से किया जाने लगा।

अभिसूचना संकलन के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि अभिनव प्रताप सिंह मटियारी चौराहा, थाना क्षेत्र चिनहट लखनऊ आने वाला है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री पंकज मिश्र के नेतृत्व में उ0नि0 षैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 संतोष सिंह एवं झारखण्ड पुलिस के विवेचक उ0नि0 श्री अजय सिंह यादव व आरक्षी दीपक सिंह को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचकर घेराबन्दी कर आवष्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त अभिनव प्रताप सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी निषादेही से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अजय सिंह सिपाही का रिष्तेदार है, जिसके अपराधिक ग्लैमर से प्रभावित होकर वर्ष—2009 से ही छात्र जीवन से ही उससे जेल में मिलने जाने लगा था। वहीं पर अयोध्या जेल में अमन सिंह से मुलाकात हुई थी। अजय सिंह सिपाही के नाम पर विवादित सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने के नाम पर अजय सिपाही के साढ़ू संदीप सिंह के साथ प्रापर्टी डिलिंग करने लगा। इसी दौरान वर्ष—2014 में थाना महराजगंज क्षेत्र, जनपद अयोध्या में बैंक आफ बडौदा की कैष वैन से 1.2 करोड़ की लूट में संदीप सिंह गिरफ्तार हो गया और मैंने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया तथा 7—8 महीने पर जमानत पर रिहा हो गया। तब तक अमन सिंह जेल से छूट चुका था। जेल से छूटने के बाद अमन सिंह ने अयोध्या के प्रापर्टी डीलर फत्तेह वर्मा की हत्या, सीमा हास्पिटल अतरौलिया आजमगढ़ के मालिक सरोज पाण्डेय से रंगदारी मांगने व जानलेवा हमला, सुलतानपुर के पत्रकार करूण मिश्र की हत्या व धनबाद झारखण्ड के डिप्टी मेयर व कोल व्यवसायी सुर्यदेव सिंह के भतीजे नीरज सिंह की हत्या व कई रंगदारी के अपराधों को अंजाम दिया, जिससे उत्तर प्रदेष व झारखण्ड में उसकी धाक बढ़

गयी। अमन सिंह से बढ़ते प्रभाव के कारण मेरी उससे काफी प्रगाढ़ता बढ़ गयी थी इसी कारण धनबाद में मार्च 2017 में नीरज सिंह की हत्या करने के बाद अमन सिंह की मैंनें अयोध्या के उदासीन आश्रम सहित वाराणसी व मीरजापुर के विभिन्न होटलों में छिपकर रहने की व्यवस्था करायी तथा लगातार उसके साथ रहा। इसी दौरान मीरजापुर जेल में ट्रिपल मर्डर के केस में बन्द रिन्कू सिंह से मिलने अमन सिंह के साथ मैं भी मीरजापुर जेल गया। परन्तु मुलाकात के पहले ही पिस्टल सहित हम दोनों गिरफ्तार कर लिए गये। वर्ष–2018 में मैंनें दर्षन नगर अयोध्या की जिलापंचायत सदस्य श्रीमती रेखा चौधरी के पति रामचन्दर के साथ प्रापर्टी डिलिंग का काम करने लगा और झांसी जेल में रामचन्दर को मुन्ना बजरंगी से मिलवाकर करोड़ों रूपये की डील करवाई, परन्तु जमीन के सौदों में रामचन्दर बेईमानी करने लगा, तो मैंनें उसे अन्तिम परिणाम भुगतने के लिए धमकाया था, इसी कारण रामचन्दर ने मुझ सहित मुन्ना बजरंगी व मेरे कई साथियों के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा नगर कोतवाली, फैजाबाद में दर्ज करा दिया, जिसमें मैं जेल भेज दिया गया।

रिन्कू सिंह की झारखण्ड के बड़े राजनैतिक व्यक्तियों एवं माफियाओं से अच्छी पकड़ है, इसी कारण उसने मीरजापुर जेल में रहकर अमन सिंह के माध्यम से डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या को सुपारी लेकर अंजाम दिया। अमन सिंह व रिन्कू सिंह से मिलने रांची व धनबाद जेल अक्सर जाता रहा। उन दोनों से मेरी व्हाट्सएप व सिग्नल से बातचीत होती है। अमन सिंह वर्चुवल मोबाईल नम्बरों से जेल के अन्दर से रंगदारी मांगता है तथा सम्बन्धित द्वारा टाल–मटोल करने पर मेरे माध्यम से उनपर फायरिंग कराकर दहषत पैदा की जाती है। इसी क्रम में **मैंनें नवम्बर–2020 में अपने साथी रवि ठाकुर के साथ कस्बा कतरास, धनबाद झारखण्ड में बीजेपी विधायक डुल्लू महतो के राईट हैण्ड राजेश गुप्ता की तीन दिन तक लगातार रेकी कर जान से मारने की कोशिश की परन्तु अधिक भीड़ के कारण सफलता नहीं मिली, तो उसके घर पर हमने बम से हमला किया था। भाजपा विधायक डुल्लू महतो की धनबाद में कोयले की रैक लगती है, अमन सिंह भी कोयले की रैक लगवा रहा था परन्तु महतो ने रैक**

लगने नहीं दिया जिस कारण उसे सबक सिखाने के लिए राजेश गुप्ता पर हमला कराया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने अम्बे कोल सोर्सिंग कम्पनी धनबाद के जी0एम0 रेड्डी की रैकी कर उसकी गाड़ी पर फायरिंग की, सिटी फ्यूल पेट्रोल पम्प गोविन्दपुर धनबाद पर फायरिंग की व तेतुलमारी धनबाद के व्यवसायी राजेष कुमार सिंह से रंगदारी मांगने की घटना को अंजाम दिया।

अमन सिंह व रिन्कू ने मुझसे धनबाद जेल के एक अधिकारी को जान से मारने को कहा था और पूरा विवरण व्हाट्सएप पर भेजने की बात कही थी, परन्तु उसके पहले ही मैं पकड़ लिया गया। पूर्व में रिन्कू सिंह वाराणसी के डिप्टी जेलर अजय त्यागी की हत्या कर चुका है। अखण्ड ज्योति, एन0जी0ओ0 विष्वासखण्ड, लखनऊ के मालिक अनुराग यादव का पार्टनर रहमान उसका 25 लाख लेकर गुवाहाटी भाग गया था, जिसे सबक सिखाने के लिए अनुराग यादव के कहने पर दिसम्बर–2020 में गुवाहाटी गया था, परन्तु उससे सम्पर्क न होने के कारण वापस आ गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त अभिनव प्रताप सिंह का अपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	206/14	395, 397, 511, 120बी	महराजगंज	अयोध्या
2	219/17	3/25 आर्म्स एक्ट	कटरा	मीरजापुर
3	111/18	386, 143, 506, 507 भादवि	कोतवाली नगर	अयोध्या
4	112/18	307 भादवि	कोतवाली नगर	अयोध्या
5	114/18	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली नगर	अयोध्या
6	649/18	386, 387 भादवि	आषियाना	लखनऊ
7	372/20	385, 387, 307, 504, 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	गोविन्दपुर	धनबाद झारखण्ड
8	282/20	399, 402 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट	कतरास	धनबाद झारखण्ड
9	167/20	307, 287, 427, 120बी भादवि व 27 आर्म्स एक्ट	कतरास	धनबाद झारखण्ड
10	4/21	385, 387, 504 भादवि	तेतुलमारी	धनबाद झारखण्ड
11	27/21	115, 387, 511, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि	बैकमोर	धनबाद झारखण्ड

उल्लेखनीय है कि स्पेशल ब्रान्च, रांची, झारखण्ड के अपर पुलिस महानिदेशक श्री मुरारी लाल मीना द्वारा उपरोक्त वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गिरफ्तार करने वाली एसटीएफ टीम को रू0 50,000/— नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही धनबाद, झारखण्ड के विवेचक उ0नि0 श्री अजय यादव द्वारा की जा रही है।

——————